

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था-डीपीसी/प्रभाग-2/उपप्राचार्य/2023-24 ई-07686 दिनांक 27.09.2025 (RAJ KAJ REF. NO. 18038930) एवं शिविरा-माध्य/संस्था-डीपीसी/प्रभाग-2/उपप्राचार्य/2024-25 ई-07686 दिनांक 27.09.2025 (RAJ KAJ REF. NO. 18038934) द्वारा राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 के नियम 31 (ख) के प्रावधानान्तर्गत उप-प्राचार्य पदों पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26.09.2025 के द्वारा की गई अनुशंषानुसार प्राध्यापक-स्कूल शिक्षा पद (विभिन्न विषय) के अभ्यर्थियों का उप-प्राचार्य पद (अनुसूची-1) पर पे-मैट्रिक्स लेवल-14 में डीपीसी वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लिए उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को उपलब्ध रिक्ति के प्रति वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर चयन किया गया है।

उक्त चयनित अभ्यर्थियों में से ऐसा कार्मिक जिनके 01-06-2002 को या उसके पश्चात संतानोत्पत्ति से संतानों की संख्या दो से अधिक होने के कारण प्रथम बार पदोन्नति देय हो रही है, उसका वेतन, कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1) कार्मिक/क-2/95 पार्ट दिनांक 16-03-2023 में प्रदत्त निर्देशानुसार, नियत किया जायेगा। उक्त चयन कार्मिक विभाग की संतान संबंधी अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के विरुद्ध दायर डीबीसीडब्ल्यूपी संख्या 13218/2024 संतोष महावर व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय, माननीय उच्च न्यायालय में एसबीसी याचिका संख्या 16451/2025 हरिहर राजपुरोहित व अन्य, एसबीसी याचिका संख्या 18365/25 श्रवण कुमार बेनीवाल व अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में पारित अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।

उक्त चयन आदेश दिनांक 27.09.2025 द्वारा चयनित (डीपीसी वर्ष 2023-24 में क्र.सं. 01 से 8139 व डीपीसी वर्ष 2024-25 में क्र.सं. 01 से 3699 तक कुल 11838 कार्मिक) सभी पदोन्नत कार्मिक आगामी ऑनलाईन काउंसलिंग द्वारा पदस्थापन किये जाने तक अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए आदेश जारी होने की तिथि अथवा इसके पश्चात शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन कार्यग्रहण नहीं कर, केवल ऑफलाईन कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं कार्यग्रहण/पदोन्नति परित्याग की सूचना शाला दर्पण पोर्टल के डीपीसी एन्ट्री टैब में इन्द्राज करना सुनिश्चित करेंगे। पदोन्नति का वास्तविक नगद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से ही देय होगा।

संबंधित समस्त कार्मिक दिनांक **07.10.2025** तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण की अंतिम दिनांक से एक दिवस पूर्व पदोन्नति परित्याग का प्रार्थना पत्र संबंधित संस्था प्रधान के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

संलग्न : उप प्राचार्य डीपीसी चयन आदेश दिनांक 27.09.2025

E-Sign

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति.राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

SR.NO.: SHIVIRA/MAADHYA/SANSTHA/B1-B2/45001/VICE PRINCIPAL/DPC/2023-24 & 2024-25 /POSTING/
2025/E-44988-8318544

DATE: AS SIGN

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा (विद्यालयी/संस्कृत) विभाग एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज विभाग (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
- संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा/संबंधित मुख्य निदेशक शिक्षा (मुख्यालय) मा. शिक्षा, प्रा.शि./डाईट्स/अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य निदेशक/मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- स्टाफ ऑफिसर निजी निदेशक अनुभाग कार्यालय हाजा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director

Date: 2025.09.29 09:51:17 IST

Reason: Approved



6. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा, को उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण प्रकोष्ठ को प्रेषित कर लेख है कि उक्त चयनित कार्मिकों के ऑफलाईन कार्यग्रहण की सूचना संबंधित विद्यालय के शाला दर्पण पोर्टल पर डीपीसी एन्ट्री टैब में इन्द्राज किये जाने हेतु टैब शुरू करवाने बाबत।
9. अनुभाग अधिकारी डीपीसी/वरिष्ठता-नियम अनुभाग कार्यालय हाजा।
10. अनुभाग अधिकारी विभागीय जांच/प्राथमिक जांच/संस्थापन सी अनुभाग कार्यालय हाजा।
11. प्रभाग प्रभारी बी-2 कोर्ट केस/बी-3 संस्थापन एबी अनुभाग कार्यालय हाजा।
12. **संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता हैं कि :-**

- जिन चयनित कार्मिकों ने निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नहीं किया, से पदोन्नति परित्याग का प्रार्थना पत्र प्राप्त कर, दिनांक 07.10.2025 तक कार्यालय की ई-मेल आई.डी. **vpjoining2025@gmail.com** पर प्रेषित करवावें। उक्त ई-मेल आई डी के अलावा अन्य ई-मेल आई डी पर प्रेषित सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।
 - संबंधित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता हैं कि जिन चयनित कार्मिकों द्वारा निर्धारित समयावधि में यथावत कार्यग्रहण नहीं किया गया एवं पदोन्नति परित्याग का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, के संबंध में संस्था प्रधान द्वारा उक्त कार्मिक का पदोन्नति परित्याग मान लिए जाने बाबत प्रस्ताव इस कार्यालय की ई-मेल आई.डी. **vpjoining2025@gmail.com** पर अनिवार्यतः प्रेषित करवावें।
 - **लम्बे समय से अनुपस्थित/निलंबित कार्मिक** को पदोन्नति पर कार्यग्रहण नहीं कराते हुए, इसकी सूचना कार्यालय की ई-मेल आई.डी. **vpjoining2025@gmail.com** पर प्रेषित करवावें।
 - संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जिन कार्मिकों का दिव्यांग श्रेणी में चयन हुआ है उन कार्मिकों से दिव्यांगता श्रेणी का प्रमाण-पत्र प्राप्त करें। दिव्यांगता श्रेणी में भिन्नता होने की स्थिति में निदेशालय को अवगत करावें।
 - जिन कार्मिकों के विरुद्ध सीसीए 16/17 के तहत विभागीय जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं, उनके संबंध में कार्यग्रहण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावें कि उक्त जांच में जारी ज्ञापन आरोप पत्र की दिनांक यदि कार्मिक के चयन दिनांक के पश्चात का है, तो यह नियमानुसार कार्मिक के चयन को प्रभावित नहीं करता हैं। उक्त तथ्य की जांच के आधार पर ही कार्यग्रहण करवाया जावें। इस प्रकार के प्रकरणों में मार्गदर्शन हेतु अनावश्यक पत्र व्यवहार नहीं किया जावें।
 - संबंधित चयनित समस्त कार्मिक को पाबंद किया जाता हैं कि वर्तमान पदस्थापन स्थान पर **ऑफलाईन ही कार्यग्रहण करें, (ऑनलाईन कार्यग्रहण नहीं किया जावें)** साथ ही अनिवार्यतः विभागीय शाला दर्पण पोर्टल के डीपीसी एन्ट्री टैब में ऑफलाईन कार्यग्रहण का इन्द्राज भी करावें। उक्त न्यू टैब में अंतिम दिनांक 07.10.2025 तक इन्द्राज नहीं होने पर संबंधित संस्था प्रधान का दायित्व निर्धारित किया जावेगा।
 - शाला दर्पण पोर्टल के डीपीसी एन्ट्री टैब में ऑफलाईन कार्यग्रहण की प्रविष्टि को ही भविष्य में होने वाली ऑनलाईन काउसलिंग हेतु आधार माना जाएगा। अतः यदि कोई कार्मिक पदोन्नति परित्याग करना चाहता है, तो उक्त डीपीसी एन्ट्री टैब में ही पदोन्नति परित्याग के प्रार्थना पत्र के आधार पर, संस्था प्रधान के माध्यम से इन्द्राज सुनिश्चित किया जाए तथा उक्त पदोन्नति परित्याग से संबंधित स्पष्ट प्रार्थना पत्र विभागीय ई-मेल आई.डी. **vpjoining2025@gmail.com** पर उसी दिवस को ही प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।
 - उक्त पदोन्नति पर एक बार यथावत कार्यग्रहण कर लिए जाने के उपरान्त वर्तमान उपलब्ध नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति परित्याग/पदावनति किया जाना संभव नहीं होगा तथा ऑनलाईन काउसलिंग उपरान्त पदस्थापन किए जाने पर कार्मिक को अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा।
13. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat

Designation : Director

Date: 2025.09.29 09:51:17 IST

Reason: Approved राजस्थान बीकानेर